समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-1114 /आ0
दिनांक 28 / 10 / 2019
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंग :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2571/खाद्य दिनांक 11.06.2019, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना–2622 दिनांक 26.02.2019 एवं आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 144 दिनांक 26.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में अंकित करना है कि बक्सर जिलान्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति के विरूद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सूचना–सह–विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न कर हार्ड कॉपी एवं सी.डी. में भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न सूचना/विज्ञापन को किन्ही दो प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथा वर्णित।

विश्वासभाजन
R-Lig 27/10/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-1114/आ0, दिनांक 28 / 10/ 2019

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में संलग्न सूचना का अविलंब प्रकाशन हेतु अपने स्तर से भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

R-Lig 27/10/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0– (06183)222335(R),222336(o)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

–: सूचना / विज्ञापन :–

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453 / 2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2571 / खाद्य दिनांक 11.06.2019, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना–2622 दिनांक 26.02.2019 एवं आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 144 दिनांक 26.06.2019 में निहित प्रावधानों एवं निदेशों के आलोक में बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर एवं डुमरॉव अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	अनुमण्डल का नाम	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग महिला	पि0 वर्गों की महिला 3%	अ0 पि0 वर्ग	अ0 पि0 वर्ग महिला	अ0 जाति	अ0 जाति महिला	अ0 जन जाति	अ0 जन जाति महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बक्सर	**5**	**4**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**	**26**
2	डुमरॉव	6	4	2	1	3	1	1	3	3	2	2	1	0	29
कुल योग		**11**	**8**	**4**	**2**	**5**	**2**	**2**	**6**	**5**	**4**	**4**	**2**	**0**	**55**

इस प्रकार कुल **55 (पचपन)** ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत / वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के अधीन उचित मूल्य की दुकान / जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र (व्यक्तिओं के लिए) अनुसूची–1 के प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉ के लिए अनुसूची–2 के प्रपत्र में आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा : परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवदेक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :– (क) स्वयं सहायता समूह, (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (घ) शिक्षित बेरोजगार तथा (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :–

   I. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आऐंगे।

   II. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

   III. आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

IV. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

V. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी।

VI. सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

5. **अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन पत्र, अनुमण्डलवार 30.11.2019 तक कार्यालय अवधि अपराहन 05.00 बजे तक केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।**

6. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. सामान्य प्रशासन विभाग/बिहार, (पटना) द्वारा निर्धारित प्रकिया/प्रावधानों के तहत दिव्यागों (Handicapped) के लिए पद आरक्षित है।

8. **पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।**

नोट :–

1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पांच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दांये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहें हैं।
4. शैक्षणिक योग्यता/कम्पयूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
7. कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।
8. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिन पंचायतों/वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अनुशंसित है, वहाँ अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध न होने पर यह रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जायेगी। अतः ऐसे पंचायतों/वार्डों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों कोटि के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
10. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

27/10/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।